



असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
Published by Authority

सं. 84, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 12 मई, 2015  
No. 84, Port Blair, Tuesday, May 12, 2015

सचिवालय

आदेश

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 12 मई, 2015

(पंचायत समितियों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण तथा प्रधानों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व का निर्धारण)

फा.सं. 3-1/2015/पी.आर./जी.पी.— चूंकि, प्रशासन के दिनांक 12 मई, 2015 की अधिसूचना सं. 77/2015 के अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति में सीटों की संख्या का निर्धारण किया गया है।

अतः अब, मैं, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अजय कुमार सिंह, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 11 की उप-धारा (7) के साथ पठित धारा 107 की उप-धारा (4) का अनुसरण और इस विषय पर इस प्रशासन के दिनांक 3 मार्च, 1995 की अधिसूचना सं. 70/95 तथा इसके बाद जारी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए निम्न अनुसूची में दिए गए विवरण अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करता हूँ।

अनुसूची

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	प्रत्येक पंचायत समिति में सीटों की संख्या	महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या
1	2	3	4
1.	डिगलीपुर	15	5
2.	मायाबंदर	8	3
3.	रंगत	14	5
4.	फरारगंज	19	7
5.	पोर्ट ब्लेयर	6	2
6.	लिटिल अण्डमान	4	2
7.	कैम्पबेल बे	3	1
	कुल	69	25

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 11 की उप-धारा (5) तथा (6) के साथ पठित उसी की धारा 107 की उप-धारा (4) के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिलाओं के लिए किसी भी सीट का आरक्षण नहीं होगा क्योंकि इनकी जनसंख्या एक सीट को भरने के लिए आवश्यक समानुपातिक जनसंख्या के आधे से कम है।

उक्त विनियम की धारा 107 की उप-धारा 3 (ए) के उपबन्धों के अंतर्गत आगे यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले एक-तिहाई प्रधान 20 माह के प्रत्येक पारी में निम्न अनुसूची – II में दर्शाए अनुसार संबंधित पंचायत समिति में चक्रानुक्रम आधार पर प्रतिनिधित्व करेंगे ताकि सभी प्रधानों को अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम एक बार पंचायत समिति में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	प्रधानों की संख्या	प्रत्येक पारी के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानों की संख्या		
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1.	डिगलीपुर	15	5	5	5
2.	मायाबंदर	8	3	3	2
3.	रंगत	14	5	5	4
4.	फरारगंज	19	7	6	6
5.	पोर्ट ब्लेयर	6	2	2	2
6.	लिटिल अण्डमान	4	2	1	1
7.	कैम्पबेल बे	3	1	1	1
	<b>कुल</b>	<b>69</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>21</b>

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अजय कुमार सिंह,  
उप राज्यपाल,  
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./—  
सहायक सचिव (पंचायत)

अण्डमान तथा  
Andaman And



निकोबार राजपत्र  
Nicobar Gazette

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
Published by Authority

सं. 84, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 12 मई, 2015

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

**ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION**

सचिवालय / **SECRETARIAT**

**ORDER**

**(RESERVATION SEATS FOR WOMEN AND DETERMINING  
PROPORTIONATE REPRESENTATION OF PRADHANS  
IN PANCHAYAT SAMITIS)**

Port Blair, dated the 12<sup>th</sup> May, 2015

F.No. 3-1/2015/PR/GP.— Whereas, the number of seats in each Panchayat Samiti has been determined vide Notification No. 77/2015 dated the 12<sup>th</sup> May, 2015;

Now, therefore, I, Lieutenant General (Retd.) Ajay Kumar Singh, Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, in pursuance of Sub-Section (4) of Section 107 read with Sub-Section (7) of Section 11 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayat) Regulation, 1994 and in supersession of this Administration's Notification No. 70/95, dated 3<sup>rd</sup> March, 1995 and subsequent Notifications on the subject, do hereby reserve seats for women in each Panchayat Samiti, as detailed in Schedule below;

**SCHEDULE**

S. No.	Name of Panchayat Samiti	Number of Seats per Panchayat Samiti	Number of seats reserved for women (out of Column No. 3)
1	2	3	4
1.	Diglipur	15	5
2.	Mayabunder	8	3
3.	Rangat	14	5
4.	Ferrargunj	19	7
5.	Port Blair	6	2
6.	Little Andaman	4	2
7.	Campbell Bay	3	1
	<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>25</b>

In terms of Sub-Section (4) of Section 107 read with Sub-Section (5) and (6) of Section 11 *ibid*, no seat shall be reserved for Schedule Tribes and for women belonging to Scheduled Tribes as their population is less than half the proportionate population required to fill one seat.

Under the provisions of Sub-Section 3 (a) of Section 107 of the said Regulation, it is further ordered that one-third of Pradhans falling under the jurisdiction of each Panchayat Samiti shall represent in rotation to the respective Panchayat Samiti in each spell of 20 months in such manner as indicated in Schedule II below so that all the Pradhans are given an opportunity of being represented in the Panchayat Samiti atleast once during its duration:-

S. No.	Name of Panchayat Samiti	Number of Pradhan	Number of Pradhan to represent in each spell		
			First	Second	Third
1.	Diglipur	15	5	5	5
2.	Mayabunder	8	3	3	2
3.	Rangat	14	5	5	4
4.	Ferrargunj	19	7	6	6
5.	Port Blair	6	2	2	2
6.	Little Andaman	4	2	1	1
7.	Campbell Bay	3	1	1	1
	<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>21</b>

**Lt. General (Retd.) Ajay Kumar Singh,  
Lieutenant Governor,  
Andaman & Nicobar Islands.**

**By order and in the name of the Lieutenant Governor,**

**Sd./-  
Assistant Secretary (Panchayat)**